



राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—प.25(15)(1)पदसृजन/विविध/अभि/23—02893(पार्ट—1)जयपुर, दिनांक:—

—आदेश:—

प्रशासनिक विभाग से प्राप्त स्वीकृति आदेश दिनांक 02.04.2025 द्वारा नवसृजित 08 जिलों में (ब्यावर, डीडवाना—कुचामन, डीग, कोटपूतली—बहरोड, खैरथल—तिजारा, बालोतरा, फलौदी एवं सलूमबर) में जिला स्तरीय कार्यालय उप निदेशक अभियोजन कार्यालय खोले जाने की सहमति प्रदान की गई है।

गृह(गुप—10) विभाग के उपरोक्त आदेश की निरन्तरता में एवं राजस्व (गुप—1) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(21)राज—1/2024—(10) दिनांक 29.12.2024 अनुसार नव सृजित जिला स्तरीय उप निदेशक अभियोजन कार्यालयों का क्षेत्राधिकार का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:—

क्रम संख्या	संभाग निदेशक कार्यालय	स्तरीय संयुक्त अभियोजन	नव सृजित जिला स्तरीय उप निदेशक अभियोजन कार्यालय	नव सृजित जिला स्तरीय उप निदेशक अभियोजन कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले अभियोजन कार्यालयों का नाम
1.	अजमेर	ब्यावर		ए.सी.जे.एम. ब्यावर
				ए सीजे एम — 1 ब्यावर
				ए.सी.जे.एम.— 2 ब्यावर
				सी.जे(जे.डी)जे.एम, ब्यावर
				ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम—1, ब्यावर
				ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम—2, ब्यावर
				ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम—3, ब्यावर
				सी.जे(जे.डी)जे.एम, विजयनगर
				ए.एस.सी.जे एवं ए.सी.जे.एम स.—03, ब्यावर
				सी.जे(जे.डी)जे.एम, मसूदा
				सी.जे(जे.डी)जे.एम, जैतारण
				ग्राम न्यायालय, रायपुर
		डीडवाना—कुचामन		ए.सी.जे.एम.—परबतसर
				ए.सी.जे.एम.—डीडवाना
				सी.जे(जे.डी)जे.एम, डीडवाना
				ए.सी.जे.एम.—मकराना
				सी.जे(जे.डी)जे.एम, मकराना
				ए.सी.जे.एम.नावा
				ए.सी.जे.एम.कुचामनसिटी
2.	भरतपुर	डीग		ए.सी.जे.एम.—डीग
				सी.जे(जे.डी)जे.एम, डीग
				ए.सी.जे.एम, कुम्हेर
				ए.सी.जे.एम. नगर न. 01
				ए.सी.जे.एम. न. 02 नगर

			सी.जे(जे.डी)जे.एम, नगर
			ए.सी.जे.एम. 01 –कांमा
			ए.सी.जे.एम. 02 –कांमा
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, कांमा
			ग्राम न्यायालय, कांमा
			एस.सी.जे एवं ए.सी.जे.एम, सीकरी
3.	जयपुर द्वितीय	कोटपूतली–बहरोड	ए.सी.जे.एम.–बहरोड
			ए.सी.जे.एम.– 1 बहरोड
			ए.सी.जे.एम.– 2 बहरोड
			ए.सी.जे.एम.– 3 बहरोड
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, बहरोड
			ए.सी.जे.एम.–बानसूर
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, बानसूर
			ए.सी.जे.एम.–कोटपूतली
			ए.सी.जे.एम.– 02 कोटपूतली
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, कोटपूतली
			ए.सी.जे.जे.डी)जे.एम, कोटपूतली
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, विराटनगर
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, पावटा
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, नीमराणा
			ग्राम न्यायालय, नीमराणा
		खैरथल–तिजारा	ए.सी.जे.एम.01–तिजारा
			ए.सी.जे.एम.– 2 तिजारा
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, तिजारा
			ए.सी.जे(जे.डी)जे.एम, तिजारा
			ग्राम न्यायालय, तिजारा
			ए.सी.जे.एम.–किशनगढ़ बास
			ए.सी.जे.एम.–2 किशनगढ़ बास
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, किशनगढ़ बास
			ए.सी.जे.एम.–मुण्डावर
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, मुण्डावर
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, कोटकासिम
4.	जोधपुर	फलौदी	ए.सी.जे.एम.–फलौदी
			ए.सी.जे.एम.02 –फलौदी
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, फलौदी
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, लौहावट
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, बाप
		बालोतरा	ए.सी.जे.एम.– 01 बालोतरा
			ए.सी.जे.एम.– 02 बालोतरा
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, बालोतरा

			ए.सी.जे.जे.एम, बालोतरा
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, सिवाना
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, पंचपदरा
			सी.जे.जे.एम, सिणधरी
5.	उदयपुर	सलूम्वर	ए.सी.जे.एम.—सलूम्वर
			सी.जे(जे.डी)जे.एम, सलूम्वर
			ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम., सराडा

सम्बन्धित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन को निम्न दिशा—निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि, वे:—

1. अग्रिम आदेशों तक उक्त नवसृजित जिलों में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशासनिक/आहरण—वितरण का कार्य पूर्व अनुसार संबंधित उप निदेशक अभियोजन कार्यालय द्वारा ही संपादित किया जावेगा। साथ ही नव गठित कार्यालयों के संचालन हेतु राजकीय भवनों अथवा नियमानुसार किराए के भवन उपलब्धता के संबंध में नव सृजित जिलों में पदस्थापित अभियोजन सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर मय टिप्पणी सूचना निदेशालय को 15 दिवस में भिजवायें।
2. उक्त के अतिरिक्त शेष कार्यालयों का क्षेत्राधिकार पूर्वानुसार ही रहेगा।
3. उक्त नव गठित उप निदेशक अभियोजन कार्यालयों का मुख्यालय राजस्व (ग्रुप—1) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(18)राज—1/2022—(10) जयपुर दिनांक 05.08.2023 अनुसार रहेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री(गृह) राजस्थान सरकार।
3. श्रीमान संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
4. श्रीमान निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. श्रीमान निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
6. श्रीमान निजी, सचिव प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
7. श्रीमान महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
8. श्रीमान पुलिस आयुक्त/उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर/संबंधित पुलिस अधीक्षक।
9. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—4) विभाग।
10. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
11. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर.....(संबंधित)।
12. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश.....(संबंधित)।
13. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन।
14. अभियोजन निदेशालय, समस्त शाखा।
15. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर।